अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बिजनौर।
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र0सं0	विन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	जिला पंचायत द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कार्य कराये जाते है। इसमें पक्की सड़के, मिटटी, खड़ंजा, नाले, नाली, पुलिया एवं तालाब दीवार आदि का निर्माण कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में हाट बाजार, मेला, पशु पैठ, दुकाने, कारखाने, ईट भटटा, आटा चक्की, सैलर, क्रेशर आदि को विनियमित /नियंत्रित तथा विभव एवं सम्पत्ति कर का निर्धारण किया जाता है।
2.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य	जिला पंचायत के अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते है एवं कर्मचारी जिला पंचायत द्वारा नियुक्त किये जाते है। राज्य सरकार के नियमों /आदेशों के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	जिला पंचायत में क्रमशः निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी, अवर अभियन्ता, प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, कार्यालय सहायक, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन /निरीक्षण /पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय कलेक्ट्रेट बिजनौर कम्पाउन्ड में स्थित है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	अपर मुख्य अधिकारी /नियत्रण अधिकारी का पद सृजित है जिनके नियन्त्रण में रहकर सभी अधिकारी /कर्मचारी जिला पंचायत के कार्य सम्पन्न करते है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	संस्था में अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, कार्यालय सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है जिनके द्वारा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, नियमावली, शासनादेश एवं उपविधियों के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
6.	ऐसे दस्तावेज की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	अधिनियम /नियमावली /शासनादेश / उपविधियों के द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हे। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।

7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिऐ विद्यमान है।	जिला पंचायत का गठन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है तथा उनके द्वारा ही अध्यक्ष जिला पचांयत का निर्वाचित होता है निर्वाचित सदस्य अपने में से अधिनियम /नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 6 समितियों का गठन होता है। जनपद के निर्वाचित माननीय सासंद, विधायक एवं ब्लाक प्रमुख जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते है। उनके परामर्श के अनुसार शासनादेशों के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों को अनुमोदित कराया जाता है।
8.	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोग के लिए सुलभ है।	जिला पंचायत की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप जनप्रतिनिधियों की राय/ सुझाव लिये जाते है तदानुसार जिला पंचायत के कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
9.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका	जिला पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी शासन के निर्देशो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते है तथा शासन के नियमों और आदेशों का अनुपालन करते है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभागीय नियमावली के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक प्राप्त होता है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टिंग की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	जिला पंचायत का बजट सदन की बैठक में पारित किया जाता है। जिसमें जिला पंचायत के घर निजी सोत्रों से आय केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान सम्मिलित होता है। जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार किया जाता है। शासन को प्रत्येक माह आख्या भेजी जाती है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पनादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बधित है।	जिला पचांयत सदन की बैठक में राज्य वित्त आयोग एवं बारहवाँ वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का उपभोग जनपद के ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास हेतु किया जाता है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	शासन के आदेशों /निर्देशो के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पन्न की जाती है।
14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसकों उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	जिला पंचायत द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती है। आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडिया से प्रचार प्रसार भी कराया जाता है।

15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है।	ऐसी कोई व्यवस्था नही है।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जन सूचना अधिकारी श्री रामफल सिंहं, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बिजनौर एवं सहायक जन सूचना अधिकारी श्री मुकेश जैन अभियन्ता जिला पंचायत बिजनौर तथा अपीलीय अधिकारी, मुख्य अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर।

(रामफल सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत बिजनौर।